भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3175

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

पीकेसी परियोजना के तहत प्रस्तावित जल संरचना

3175. श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के दौसा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित पार्बती-कालीसिंध-चम्बल (पीकेसी) परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बड़े और छोटे बांधों, एनीकट और अन्य जल संरचनाओं की कुल संख्या और स्थिति क्या है;

(ख) विशेष रूप से उक्त निर्वाचन क्षेत्र में कितने ढांचों का निर्माण पूरा हो चुका है, कितने निर्माणाधीन हैं और वर्तमान में कितने ढांचे लंबित हैं और कितनी संरचनाओं को सफलतापूर्वक आपस में जोड़ा गया हैं;

(ग) क्या कुछ प्रस्तावित ढांचों को तकनीकी, वित्तीय या प्रशासनिक कारणों से जोड़ा नहीं गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इन्हें पूरा करने के लिए क्या समयबद्ध कार्य योजना है; और

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत सिंचाई और पेयजल के रूप में विशेष रूप से राजस्थान के दौसा में लाभान्वित होने वाले संभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और संभावित लाभार्थी क्षेत्रों और जनसंख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (एमओपीकेसी) लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओए) के अंतर्गत दौसा जिले सहित पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल आर्पित, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग को शामिल करते हुए राजस्थान के लिए 23 परियोजना घटकों को चिन्हित किया गया है। इन घटकों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। एमओए के अनुसार, राजस्थान में 3,309.88 एमसीएम के नियोजित उपयोग सहित 4,642.48 एमसीएम की लाइव भंडारण क्षमता है, जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए 205.75 एमसीएम, पेयजल के उद्देश्यों के लिए 1,744.16 एमसीएम और सिंचाई के लिए 1,359.97 एमसीएम शामिल हैं, जो राज्य में लगभग 4.03 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई क्षमता के अनुरूप है।

एमओपीकेसी लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को प्रस्तुत कर दी गई है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा एमओपीकेसी लिंक परियोजना के अंतर्गत कोई भी संरचना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

अनुलग्नक

"पीकेसी परियोजना के तहत प्रस्तावित जल संरचना" के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 3175 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एमओपीकेसी लिंक परियोजना में राजस्थान के सभी घटकों का विवरण (एमओए के अनुसार)

क्र. सं.	परियोजना के घटक	जिला	वार्षिक सिंचाई (हेक्टेयर)
1	ईआरसीपी-3: नवनेरा बैराज	कोटा	800
2	ईआरसीपी-7: इसार्डा बांध	उनियारा, टोंक	0
3	ईआरसीपी-1: रामगढ़ बैराज	बारन	0
4	ईआरसीपी-2: महलपुर बैराज	बारन	0
5 (क)	ईआरसीपी -9: पेयजल जल संवाहक प्रणाली 1. रामगढ़ से महलपुर से नवनेरा तक 2. नवनेरा से मेज तक (चम्बल एक्वाडक्ट सहित)। 3. मेज से गलवा से ईसरदा से बीसलपुर 4. बीसलपुर से मोर सागर 5. ईसरदा से रामगढ़ 6. ईसरदा से बरेठा 7. खुरा चैनपुरा से अलवर जलाशय 8. बरेठा से उर्मिला सागर		
6	ईआरसीपी-11: मोर सागर कृत्रिम संतुलन जलाशय	अजमेर	0
7	कोटा बैराज की दाहिनी मुख्य नहर और बाईं मुख्य नहर नवीनीकरण/आधुनिकीकरण	कोटा	0
8	केयूआरजे -1: 9 सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के क्लस्टर का कार्यान्वयन करते हुए कूनो सब बेसिन में कमांड का विकास	बारन	7,000
9	पीएआरजे -1: अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना	बारन	9,850
10	ईआरसीपी -12: अलवर कृत्रिम संतुलन जलाशय	अलवर	0
11	ईआरसीपी -4: मेज बांध	बूंदी	30,500
12	केएआरजे-7: झालावाड़ जिले में दबाव सिंचाई प्रदान करने के लिए 33 डब्ल्यूएचएस का क्लस्टर	झालावाड़	4,508
13	केएआरजे -2: मोरी कृत्रिम जलाशय (कालीसिंध बांध से अंतरित किया जाने वाला जल)	झालावाड़	0
14	केएआरजे-3: सोयाला कृत्रिम जलाशय (कालीसिंध बांध से अंतरित किया जाने वाला जल)	झालावाड़	10,000
15	ईआरसीपी-6: 0.5 मीटर एचटी बढ़ाकर बीसलपुर बांध की भंडारण क्षमता बढ़ाना	देवली, टोंक	0

16	केएआरजे -6: मनोहरथाना एमआईपी	झालावाड़	9,834
17	केएआरजे -1: हरिपुरा बैराज	कोटा	15,000
18	ईआरसीपी-5: निमोद राठौड़ बैराज	सवाई माधोपुर	5,000
19	केएआरजे-4: कालीसिंध बेसिन की पाटली नदी पर पाटली-I बांध	रामगंज मंडी	3,800
20	केएआरजे-5: कालीसिंध बेसिन का पाटली नदी पर पाटली-II बांध	रामगंज मंडी	2,200
21	एमपीकेसी (ईआरसीपी) के विभिन्न संरक्षण बिंदुओं के साथ मौजूदा मार्गस्थ टैंकों का ईआरसीपी-10 नवीकरण और एकीकरण और कमान में सूक्ष्म सिंचाई नेटवर्क का विकास। इस घटक में 615 एमसीएम पानी का उपयोग करने वाले 138 टैंकों के माध्यम से 1.52 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र का स्थायीकरण शामिल है। भूजल पुनर्भरण के लिए 20 अन्य जल निकाय हैं और पशुधन 29 एमसीएम जल है। पेयजल और विद्युत/उद्योगों के लिए भी क्रमश: 96 एमसीएम और 12 एमसीएम का प्रावधान है।	जयपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर	1,52,400
22	ईआरसीपी -8: डूंगरी बांध	सवाई माधोपुर	1,19,200
5 (ख)	ईआरसीपी-9 (1): जल कंडक्टर प्रणाली 1. मेज से डूंगरी 2. डूंगरी से खुरा चैनपुरा फीडरों का संवर्धन खुरा चैनपुरा से अलवर, नानवेरा से मेज, मेज से गलवा से इसरदा से बिसालपुर, बिसालपुर से मोर सागर, ईसरदा से रामगढ़, इसरदा से बरेठा, 185060 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई		
23	पीएआरजे-2: महलपुर और नवनेरा (सुकानी नदी जलाशय)के बीच स्थित सीए	कोटा पिपलडा (लिनियर जलाशय)	4,000
	कुलयोग		3,74,092
	नवीकृत जल के माध्यम से सीसीए (हेक्टेयर) की सिंचाई की जाएगी		29,560
कुल			4,03,652
